FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

सहायक कलक्टर (एफ.टी.एम.) मुकाम बाप

गोमती बनाम चीमाराम

नं. 12/2020 सन्

अन्तर्गत आदेश 9 R 4 CPC

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
नामक प्रा पत्र अन्तर्गत आदेश 9 R 4 CPC का वकील प्रार्थी द्वारा पेश किया गया जो दर्ज रजि. किया जाकर सूची पत्रावली तलब होकर प्रा. पत्र खारिज दिनांक 31/01/2020 को पेश हो।	
आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप. / मूल मिसल तलब की गई। वकील प्रार्थी श्री प्रा. पत्र पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रा. पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए बयान किया कि वकील वादी व वादी बीमार है अतः के कारण वाद के नियत दिनांक को न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण प्रार्थी का वाद खारिज हो गया है। अदम हाजरी के अदम पैरवी के खारिज हो गया है। सह एवं सद्भाविक कारण के जानकारी पर वकील वादी एवं वादी के न्यायालय के समय की अपेक्षा नहीं की है। अतः न्याय हित में प्रार्थी का वाद पुनर्जीवित करने: नकल पर मिसल अति के साथ आदेश पारित हो। वकील वादी / प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। मूल मिसल में दिनांक 29/6/18 का अवलोकन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन पाया गया कि प्रार्थी का वाद दिनांक 29/6/18 को अदम पैरवी के खारिज हो गया है। वकील प्रार्थी की इस्तदुआ पर न्याय हित में मूल वाद को पुनर्जीवित किया जाना उचित है अतः वकील प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है। मूल वाद सं. 597/13 को पुनर्जीवित करते हुए नकल पर मिसल अति का आदेश दिया जाता है। मिसल अति के साथ नस्थी हो। शुभकामनाएं। नकल के बाद ही वाद के साथ नस्थी हो।	

(महावीर सिंह)
R.A.S.

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Singh
Date: 2020.02.03 20:48:07 IST
Reason: SelfAttested